कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांकः–एफ 14( )एफसीए/उवसं/2018–19/ 7760   दिनांक :– 27-7-18

निमित्त,

अधिशाषी अभियंता,
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
नगर खण्ड प्रथम, अजमेर।

विषयः– ट्राम्बे स्टेशन हरिजन बस्ती में ओ.एच.एस.आर. के निर्माण हेतु 0.0225 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन के क्रम में।

संदर्भः– भारत–सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज/08/26/2017/एफसी/872 दिनांक 09.03.2018 में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि सन्दर्भित पत्र द्वारा शर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी हैं। अतः पत्र में उल्लेखित शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट भिजवावें। पूर्व में इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र जारी किया गया था लेकिन वर्तमान में श्रमिक दरें 201/– रू. से 213/– रू. हो जाने से **संशोधित मांग पत्र** अनुसार राशि अविलम्ब जमा करावें ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र. सं.	भारत–सरकार पर्यावरण एव वन मंत्रालय, लखनऊ के पत्रांक 872 दिनांक 09.03.2018 को जारी स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि	वि.वि.
1	शर्त संख्या 2 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	**230000**	राशि रू. 274764/–को OSMFWCP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कराई जायेगी।
2	शर्त संख्या 3 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत, प्रभावित वनभूमि 0.0225 हैक्टर के दस गुने अवनत वनभूमि पर (0.0225x10=0.225ha.) अर्थात 0.225 हैक्टर पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	0.0225x10x 136350= **30679**	
3	शर्त संख्या 4 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफसी दिनांक 05.02.2009 के तहत् में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	0.0225x626000= **14085**	
	क्र.सं. 1 से 3 तक का योग	**274764/-**	

भवदीय,

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :–सम/   दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।

उप वन संरक्षक
अजमेर